न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —53 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024 / 153

1. रामकल्याण राठौर पुत्र स्व0 श्री सेवा जाति तेली
2. श्रीमती रामकन्या राठौर पत्नि रामकल्याण राठौर
   निवासीगण ग्राम आरामपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी राजमंदिर के पास, तेलियों का मोहल्ला, ग्राम खेडारसूलपुर थाना कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश राठौर पुत्र रामकल्याण राठौर, जाति तेली निवासी ग्राम आरामपुरा, थाना कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम बनाराजगी आदेश दिनांक 27.06.2024 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा मिसल नम्बर 26 / 2023 बउनवान रामकल्याण राठौर वगै0 बनाम चन्द्रप्रकाश राठौर

उपस्थितः—

1. श्री राजेश अडसेला अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जावेद इकबाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक—11.11.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.06.2024 को आदेश पारित किया है कि—"प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रकरण सम्पत्ति एवं पारिवारिक बंटवारे का होना प्रतीत होता है । जिस कारण से प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत बनना नहीं पाये जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त आदेश दिनांक 27.06.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2024 को प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, 21, 22, 23 मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में पेश किया गया था तथा प्रार्थना की गयी थी कि अपीलान्ट /प्रार्थीगण द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति से रेस्पोडेन्ट /अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावें, उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य की विवेचना गलत रूप से एवं विधिक त्रुटि से कर पारित किया गया है, जो अपास्त एवं निरस्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री जावेद इकबाल का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य की विवेचना गलत रूप से एवं विधिक त्रुटि कर पारित किया गया है, जो अपास्त एवं निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में दिये गये प्रावधानों को समझने में कानूनी भूल की है, विधिक रूप से उक्त कानून के अनुसार अपीलान्ट प्रार्थीगण को अपने स्वर्जित सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करने का अधिकार दिया गया है और यदि किसी वारिस को किसी भी प्रकार से सम्पत्ति हस्तांतरित कर भी दी गयी है तो वापस लेने का अधिकार दिया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि सिविल न्यायालय में बंटवारे का दावा चल रहा है जबकि उपरोक्त दावें में अपीलान्ट /प्रार्थीगण पक्षकार ही नहीं बनाये गये, इसके अतिरिक्त यह माना गया कि अपीलान्ट प्रार्थीगण ने उनकी संतान अप्रार्थी द्वारा प्रताडित करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जबकि प्रार्थीगण का शपथ पत्र पत्रावली पर मौजूद थे, किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है । अपीलांट नम्बर 1 ने अपने स्वयं की मेहनत मजदूरी से कमाए धन से दिनांक 13.12.1991 को जरिये विक्रय पत्र एक भूखण्ड पैमाईश 30 गुणा 30 कुल 900 वर्गफीट रतना पुत्र कजोड से क्रय किया था जिसका विक्रय पत्र अपीलान्ट नम्बर 1 के पक्ष में पंजीकृत किया हुआ है । उपरोक्त क्रयशुदा भूखण्ड के उत्तरी दिशा में एक अन्य भूखण्ड 30 गुणा 30 कुल 900 वर्गफीट का और था जिसे अपीलान्ट ने उक्त भूखण्ड स्वामी शिवनारायण पुत्र कजोड से दिनांक 12.7.1993 को क्रय किया था जिसका इकरारनामा नोटेरी से तस्दीक करवाया हुआ है । उपरोक्त दोनों भूखण्ड ग्राम आरामपुरा में स्थित है जिन्हें ग्राम आरामपुरा की तत्कालीन ग्राम पंचायत खेडारसूलपुर द्वारा विक्रेताओं को आवंटित किये गये थे, वर्तमान में आरामपुरा पंचायत अलग बन चुकी है । उपरोक्त दोनों भूखण्ड को एक साथ जोडकर दोनों के मध्य में अपीलान्ट क्रम–1 ने आगे की तरफ यानि पूर्व दिशा में रोड की ओर 26 गुणा 20 कुल 520 वर्गफीट में आगे की तरफ दो दुकाने डुप्लेक्स के रूप में वर्ष 1997 में बनाई थी और जिनमें अपीलान्ट क्रम 1 ने अपना व्यवसाय शुरू किया था । अपीलान्ट के कुल तीन पुत्र है और दो पुत्रियां है, सभी की शादी हो चुकी है, रेस्पोडेन्ट सबसे बडा पुत्र है जो गलत संगत में पड गया और उसका आचार विचार , चाल चलन गलत हो गया और उसने अपने उपर काफी कर्जा कर लिया, रेस्पोडेन्ट दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट्स की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द नहीं कर दे, इसलिये अपीलान्ट्य ने निर्णय लिया कि सम्पत्ति का विभाजन कर दूसरे पुत्र रविन्द्र कुमार राठौर और तीसरे पुत्र मुकेश कुमार को उनको अपनी इच्छानुसार अपनी सम्पत्ति देने का निर्णय लिया और इसी क्रम में जो भूखण्ड रतना जी से खरीदा था उसमें से दुकानों के निमार्ण में काम आये हिस्से को छोडकर शेष भूखण्ड को रविन्द्र कुमार राठौर को देने का निर्णय लिया और वर्ष 2005 में उसको संभला दिया और इसी प्रकार जो भूखण्ड श्योनारायण जी से खरीदा था उसमें से दूकानों के निमार्ण में काम आए हिस्से को छोडकर शेष भूखण्ड मुकेश कुमार को देने का निर्णय लिया और 2005 में ही उसको संभला दिया जिनमें निर्माण कार्य पूर्व से हो रहा था । तत्पश्चात वर्ष 2020 में रविन्द्र कुमार को दिये गये भूखण्ड का दान पत्र उसके पक्ष में दिनांक 16.12.2020 को अपीलान्ट नम्बर 1 द्वारा करवा दिया गया, चूंकि मुकेश कुमार को दिये गये भूखण्ड पर अपीलान्ट ने निमार्ण कार्य करवाया हुआ था इसलिये उपरोक्त भूखण्ड को 3,00,000/– प्रतिफल लेकर उसके पक्ष में इकरारनामा दिनांक 16.12.2020 को ही आलेखित कर दिया, उपरोक्त 3,00,000/– केवल मात्र भूखण्ड निमार्ण की राशि थी, भूखण्ड मूल रूप से बिना निमार्ण के मौखिक दान में दिया जा चुका था । अपीलान्टगण ने उपरोक्त दोनों भूखण्डों के जिस भाग पर डूप्लेक्सनुमा दो दुकाने बनाई हुयी थी, उन्हें अपने पास ही

जिला कलेक्टर
कोटा

रखा और चूंकि रेस्पोडेन्ट का चाल चलन, रहन सहन, खान पान सही नहीं था, इसलिए उसे अपने साथ रखा गया ताकि उसके आचरण में सुधार आ जाए और उसे उपरोक्त सम्पत्ति में अधिकार दे दिया जाए जिस कारण अपीलान्ट क्रम 1 व रेस्पोडेन्ट के बीच में लिखी गयी, जिसके अनुसार अपीलान्ट्स के जीवनकाल तक उपरोक्त सम्पत्ति पर अपीलान्ट्स का अधिकार रहना था और रेस्पोडेन्ट के आचरण में सुधार आने और रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट्स की सार संभाल करने, भरण पोषण करने, सेवा करने, इलाज व उपचार कराने पर ही उपरोक्त सम्पत्ति रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट्स की मृत्यु उपरान्त प्राप्त होनी थी अन्यथा नहीं किन्तु कुछ समय बाद ही रेस्पोडेन्ट के आचरण में बदलाव आ गया और पहले की तरह ही गलत एवं बुरा हो गया और रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट्स से लडाई झगडा कर, मारपीट कर उपरोक्त दुकानों से बेदखल कर दिया और दुकानों पर अवैध कब्जा जमा लिया । मजबूरन अपीलान्ट्स को खेडारसूलपुर के पुराने खण्डहरनुमा मकान में निवास करना पडा । अपीलान्ट मेहनत मजदूरी करने एवं आजीविका कमाने लायक नहीं रहे ना ही अपीलान्ट्स अपने स्वयं के हाथों से अच्छी तरह से दैनिक नित्य कर्म कर सकते है, इसलिए अपीलान्ट्स नियमित खान पान की व्यवस्था करना,सेवा करना और नित्य कर्म करवाना मुकेश कुमार व रविन्द्र कुमार के लिये संभव नहीं है, इस कारण अपीलान्ट्स उनके पास रहने का ही निर्णय लिया । रविन्द्र कुमार एवं मुकेश कुमार को जो भूखण्ड अपीलान्ट्स ने दिया था उनकी साईज छोटी है और उनमें उनके परिवार भी निवास करते है इसलिए उनके साथ अपीलान्ट्स निवास कर सके इतना स्थान नहीं है । उपरोक्त प्रकरण में एवं अपीलान्ट्स द्वारा जो तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश किये गये है उसके अनुसार अपीलान्ट्स प्रार्थीगण ने केवल मात्र अपनी सेवा सुशुश्रा करने एवं भरण पोषण करने एवं आचरण सही रखने की शर्त पर ही रेस्पोडेन्ट को उपरोक्त अंकित सम्पत्ति /परिसर/डुप्लेक्सनुमा दुकानों का उपयोग करने की अनुमति दी थी, किन्तु रेस्पोडेन्ट ने उसका उल्लंघन किया, पालन नहीं की और बल पूर्वक लडाई झगडा मारपीट कर अपीलान्ट्स को घर से बेदखल कर दिया और बेसहारा कर दिया । इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों पर अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा अपने शपथ पत्र पेश किये थे और स्वअर्जित सम्पत्ति के दस्तावेज पेश किये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया और उपरोक्त निर्णय पारित किया गया जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.6.2024 को अपास्त करते हुए अपीलांट का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए निर्णय पारित करने की कृपा करें । तथा अपीलान्ट की सम्पत्ति से रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर अपीलान्ट को उसका कब्जा दिलवाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट्स की किसी सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांटगण संयुक्त परिवार में निवास करते थे तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त आय से ही भूखण्ड खरीद किया गया था, तत्समय अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट मिठाई व नमकीन की दुकान लगाता था व उससे प्राप्त आय संयुक्त परिवार में रहने से प्रार्थी क्रम–1 को दिया करता था तथा परिवार की सहमति से भूखण्ड का पंजीयन प्रार्थी क्रम–1 के पक्ष में करवाया गया था । शिवनारायण से क्रय किया गया भूखण्ड भी संयुक्त आय से क्रय किया गया था । भूखण्डों पर दुकानें स्वयं रेस्पो0 द्वारा हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा खेडारसूलपुर से लोन लेकर बनाई गई थी तथा लोन की की समस्त किश्तें भी अप्रार्थी द्वारा ही अदा की गई है तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट इन्हीं दुकानों में व्यवसाय एवं निवास कर रहा है । अप्रार्थी कभी कोई गलत संगत नहीं रही है, बल्कि अप्रार्थी के दो पुत्र है जो कि अच्छे शिक्षित है व दोनों ने एम कॉम कर रखा है तथा वर्तमान में अप्रार्थी पर किसी का कोई कर्जा नहीं है । यदि अपीलांटगण अपने नित्य कार्य करने में सक्षम नहीं है तो रेस्पोडेन्ट एवं उसके दोनों भाई मुकेश व रविन्द्र का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने माता पिता की समान रूप से सेवा

जिला कलेक्टर
कोटा

सुश्रुषा करें परन्तु अप्रार्थी के भाई मुकेश व रविन्द्र ने अपीलांटगण को बहला फुसला कर यह झूंठा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह उचित है, यह प्रकरण वाकई सीनियर सिटीजन एक्ट के अन्तर्गत नहीं आने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है । प्रस्तुत अपील सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने से निरस्त फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 के विरूद्व दिनांक 14.08.2024 को अन्दर मियाद पेश की है । अपीलांट प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया मुख्य अनुतोष यह था कि अपीलांट नम्बर 1 ने अपने स्वयं की मेहनत मजदूरी से कमाए धन से दिनांक 13.12.1991 को जरिये विक्रय पत्र एक भूखण्ड पैमाईश 30 गुणा 30 कुल 900 वर्गफीट रतना पुत्र कजोड से क्रय किया था जिसका विक्रय पत्र अपीलान्ट नम्बर 1 के पक्ष में पंजीकृत किया हुआ है । उपरोक्त क्रयशुदा भूखण्ड के उत्तरी दिशा में एक अन्य भूखण्ड 30 गुणा 30 कुल 900 वर्गफीट का और था जिसे अपीलान्ट ने उक्त भूखण्ड स्वामी शिवनारायण पुत्र कजोड से दिनांक 12.7.1993 को क्रय किया था। उपरोक्त दोनों भूखण्ड ग्राम आरामपुरा में स्थित है । अपीलान्टगण ने उपरोक्त दोनों भूखण्डों के जिस भाग पर डूप्लेक्सनुमा दो दुकाने बनाई हुयी थी, उस सम्पत्ति /परिसर /डुप्लेक्सनुमा दुकानों से रेस्पोडेन्ट का अपीलान्ट के प्रति व्यवहार ठीक नहीं होने तथा अपीलांट्स अन्य पुत्रों के साथ रहने से तथा अन्य पुत्रों के पास रहने के लिए जगह कम होने से रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा स्वयं चाहते है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त आय से क्रय की गई थी, जिसका बंटवारा अपीलांट के द्वारा किया गया है किन्तु अपीलांट अन्य पुत्र मुकेश व रविन्द्र कुमार के बहकावे में आकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

7. विद्वान अभिभाषकगण के प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलांट के तीन पुत्र है केवल रेस्पोडेन्ट का ही अपीलांट का भरण पोषण एवं देखभाल सेवा करने का दायित्व नहीं होकर अन्य पुत्रों का भी है, अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का तीनों पुत्रों में विभाजन कर दिया गया है तथा अब वादग्रस्त सम्पत्ति से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करना चाहते है । वादग्रस्त सम्पत्ति के पारिवारिक विभाजन का मामला प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.6.2024 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाने से यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा